क्रम-संख्या—62

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, शनिवार, 11 अप्रैल, 2020

चैत्र 22, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 597/79-वि-1—20-2(क)-4-2020

लखनऊ, 11 अप्रैल, 2020

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2020) जिससे वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2020)

[भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है ;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं।

संक्षिप्त नाम

1—यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1950 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 4 में, उपधारा (13) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:-

"(14) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार, राज्य की संचित निधि से छः सौ करोड़ रुपये की और धनराशि निकालेगी और उसे उक्त निधि में जमा कर देगी।"

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह–II,
प्रमुख सचिव।

No. 597(2)/LXXIX-V-1–20-2(ka)-4-2020

Dated Lucknow, April 11, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Aakasmikta Nidhi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 6 of 2020) promulgated by the Governor. The Vitta (Aay-Vayyk) Anubhag-2 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

(U.P. Ordinance no. 6 of 2020)

[*Promulgated by the Governor in the Seventy-first Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance.

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2020.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. XIX of 1950

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950, *after* sub-section (13), the following sub-section shall be *inserted,* namely :–

"(14) The State Government shall on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2020 withdraw a further sum of six hundred crore of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place the same to the credit of the Fund."

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 759 राजपत्र–(हि0)–2020–(1804)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 168 सा0 विधायी–2020–(1805)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

759_RPH